UPST010029772026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 12, सुलतानपुर
उपस्थित– नीरज कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. Code–UP2693)
****

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–910/2026

अजीत कुमार सुत ओमप्रकाश, निवासी ग्राम फतेपुर, पखरौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर। ----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र० ----अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–15/2026
धारा–137(2), 74 बी०एन०एस० एवं धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट
थाना–कोतवाली देहात, जिला–सुलतानपुर ।

दिनांकः–10.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अजीत कुमार, जो न्यायालय के आदेश द्वारा आज दिनांक 10.04.2026 तक अन्तरिम जमानत पर था, की ओर से उपरोक्त प्रकरण में आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा श्रीमती तारा द्वारा दिनांक 14.01.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि वह आज प्रातः 04.30 बजे अपनी बेटी पीड़िता के साथ बेड से उठी और कहा कि आओ प्रसाधन चलें, तो पीड़िता ने कहा कि अभी वह नहीं जायेगी। वह प्रसाधन से वापस लौटी, तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। तब उसने अपने भाई और अन्य सम्बन्धित लोगों के साथ खोजबीन किया, किन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। पीड़िता की उम्र 15 वर्ष है। वह अपनी बेटी को खोजते–खोजते परेशान हो चुकी है। उसे उसकी पुत्री के साथ किसी अनहोनी व अप्रिय घटना घटित होने की आशंका है। उसकी दुश्मनी परिवार के ही अपने जेठ ओम प्रकाश से चल रही है। उसे शंका है कि ओम प्रकाश के द्वारा कोई साजिश की गयी है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह उपरोक्त मुकदमें में पूर्णतया निर्दोष है, मजह हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में और न ही अन्य किसी न्यायालय में दिया गया और न ही विचारधीन है और न ही निरस्त किया गया है। वह उपरोक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना अन्तर्गत धारा–180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के आधार उसका नाम

प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी व वादिनी मुकदमा के बीच जमीनी विवाद है, जिसके सम्बन्ध में तहसील लम्भुआ में मुकदमा विचाराधीन है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। इन कथनों के साथ उसे नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं वादिनी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाया गया एवं उसके साथ छेड़छाड़ कर लैंगिक हमला कारित किया गया। अभियुक्त का कृत्य जमानत योग्य नहीं है। अतः नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में ओमप्रकाश के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–137(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया है कि वह अपनी मम्मी के साथ दिनांक 13.01.2026 को रात में घर के बरामदे में सो रही थी। सुबह के समय मम्मी के शौंच जाने के बाद वह अकेली थी, तभी उसके बड़े पापा ओम प्रकाश व उनके बेटे अजीत व दो लोग अन्य उसके घर आ गये। अजीत ने रूमाल से उसका मुंह दबाया, तभी उसकी आंख खुल गयी। उसने चारों लोगों को देख लिया था और फिर बेहोश हो गयी थी। जब होश आया, तो वह जंगल में थी। उसके सामने अजीत व दो अन्य व्यक्ति थे, जिनकों वह नहीं जानती। दो अन्य लोग उसके शरीर से कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे व अजीत उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। वह जोर से चिल्लायी, तो तीनों लोग उसे छोड़कर भाग गये। वह रोकर चिल्लायी, फिर वहीं गिरकर बेहोश हो गयी। उसकी दिनांक 15.01.2026 को सुबह आंख खुली, तो देखा कि वह हनुमानगंज पुल के पास जंगल में है। वहां से उठकर वह रोड पर आयी। थोड़ी देर बाद उसे एक ऑटो मिली, जिससे उसने मदद मागी। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया है कि दिनांक 13.01.2026 को वह रात में बाहर बरामदे में मम्मी के साथ सो रही थी। जब उसकी मम्मी शौंच के लिए गयी, तो घर में वह अकेली थी, तभी उसके घर में बड़े पापा ओम प्रकाश व उनके बेटे अजीत तथा दो अन्य व्यक्ति, जिन्हें वह नहीं पहचानती आये और अजीत ने उसका मुंह दबा दिया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। जब उसकी आंखें खुली, तो वहां पर अजीत और दो अज्ञात व्यक्ति थे। वह उनको देखकर डर गयी और वह चिल्लाने लगी, तो वह डर के भाग गये। उसके साथ किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया, न ही कोई छेड़खानी की। वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर में प्रार्थी/अभियुक्त को अपने जेठ का लड़का बताया गया है एवं जेठ ओम प्रकाश से पूर्व से दुश्मनी होना स्वीकार किया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उसके साथ छेड़खानी करना बताया है, किन्तु बयान अन्तर्गत धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट कथन किया है कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया और न ही कोई छेड़खानी की है। विवेचनोपरान्त अभियुक्त अजीत कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–137(2), 74 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट में समर्पित किया गया

है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेश से अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। थाने से प्राप्त रिपोर्ट में अभियुक्त का इस वाद के अतिरिक्त अन्य किसी वाद का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर टिप्पणी किये बगैर नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजीत कुमार का नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–30,000/–(तीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक स्थानीय प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है किः–

1– अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगा ।

2– गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा ।

3– प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा गवाह के उपस्थित रहने पर किसी प्रकार का स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा ।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर ।
(J.O.Code–UP2693)

दिनांकः–10.04.2026

आशुलिपिकः– प्रशान्त कुमार,

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.04.10 16:37:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court